सं0-832/62-2-2017-

प्रेषक,

मोनिका सहगल गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3- मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 23 मार्च,2017

विषय- लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग के सिटीजन चार्टर के संबंध में।

महोदय,

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में विभाग द्वारा सिटीजन चार्टर तैयार किया गया है। विभाग द्वारा मुख्यत: निम्न योजनाएं संचालित की जाती है:-

(1) नि: शुल्क बोरिंग।
(2) मध्यम गहरी बोरिंग एवं नलकूप निर्माण।
(3) गहरी बोरिंग एवं नलकूप निर्माण।
(4) सामूहिक नलकूप निर्माण।
(5) भूजल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना।

2- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन योजनाओं के सफल एवं समयबद्ध संचालन के लिए गतिविधियां चिन्हित करके उनके लिए समय सीमा निर्धारित की गयी है और तदनुसार नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter) तैयार करके संलग्न किया जा रहा है। पूर्व में जारी शासनादेशों में निर्धारित समय सीमा को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3- अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा किसानों एवं अन्य लाभार्थियों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाय। विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा है कि कृपया हर क्षेत्रीय कार्यालय में इसका बोर्ड/होर्डिंग लगाई जाय।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,
(मोनिका सहगल गर्ग)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-832(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

4- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, उ0प्र0 शासन के अवलोकनार्थ।

5- सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली।

6- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0 प्र0 शासन।

8- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

10- क्षेत्रीय प्रबन्धक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ।

11- निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ

12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी।

13- समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0।

14- भूगर्भ जल विभाग के समस्त क्षेत्रीय अधिकारी।

15- निदेशक, सूचना विभाग, उ0 प्र0।

16- एन0आई0सी0, उ0 प्र0।

आज्ञा से,

(मोनिका सहगल गर्ग)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नागरिक अधिकार पत्र

(सिटीजन चार्टर)

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग

उत्तर प्रदेश

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजनाओं का नाम- **मध्यम गहरी बोरिंग एवं गहरे बोरिंग तथा नलकूप का निर्माण।**

कृषक द्वारा सहायक अभियंता, लघु सिंचाई को प्रार्थना पत्र देने पर कार्यवाही आरम्भ होगी।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	समय सीमा
1	सहायक अभियंता द्वारा प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता को प्रेषण	सहायक अभियंता	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 02 दिन
2	सर्वे एजे'न्सी का चयन निम्नानुसार (GW/RSAC अथवा प्राइवेट)	अधिशासी अभियंता	07 दिन
प्रार्थी सर्वे शुल्क डाफट सहित प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता को देगा।			
4	GW/RSAC अथवा संबंधित एजे'न्सी को सर्वे हेतु अग्रसारण	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई	03 दिन
5	संबंधित एजेन्सी द्वारा सर्वे कर रिपोर्ट लघु सिंचाई विभाग को प्रेषण	संबंधित अधिकारी	30 दिन
6	प्रार्थी को सूचित करना	अधिशासी अभियंता/ सहायक अभियंता	03 दिन
7	प्राक्कलन तैयार करना	अवर अभियंता/ सहायक अभियंता	07 दिन
8	प्रार्थी को धनराशि जमा करने हेतु रजिस्टर्ड पत्र	सहायक अभियंता	02 दिन
प्रार्थी द्वारा वांछित धनराशि जमा करने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।			
9	लक्ष्य के अनुसार वरीयता क्रम निर्धारित करके प्रार्थी को सूचित करना	सहायक अभियंता	01 दिन
10	पी0सी0सी0 पाइप/अन्य सामग्री खण्ड को उपलब्ध कराना	मुख्य अभियंता	45 दिन
11	बोरिंग पूर्ण् कराना	सहायक अभियंता/ अधिशासी अभियता	45 दिन
12	कृषक को रूप पत्र-4 निर्गत करना एवं बोरिंग हस्तांतरण करना	अवर अभियंता / सहायक अभियंता	30 दिन
कृषक द्वारा अवशेष कार्य पूर्ण किये जाएगे एवं व्यय के बाउचर्स सहायक अभियंता को प्रस्तुत किये जाएगे।			
13	स्थल सत्यापन एवं अधिशासी अभियंता को रिपोर्ट प्रेषण	अवर अभियंता / सहायक अभियंता	15 दिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14	कृषक को अवशेष अनुदान का भुगतान का निर्णय एवं लेखा समायोजन चेक सहायक अभियता को प्रेषण	अधिशासी अभियंता	07 दिन
15	कृषक को चेक उपलब्ध कराना	सहायक अभियंता	07 दिन

योजना का नाम- नि: शुल्क बोरिंग ।

कृषक द्वारा विकास खण्ड में प्रार्थना पत्र देने पर कार्यवाही शुरू की जायेगी।

क्र0 सं0	कार्यवाही	उत्तरदायी अधिकारी	समय सीमा
1	रूप पत्र-1 में दर्ज करना	अवर अभियंता	01 दिन
2	ग्राम सभा की खुली बैठक मे लक्ष्यों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक लाभार्थी का चयन चयनित कृषक से बोरिंग कराने की सुविधा अनुसार वरीयता का निर्धारण	ग्राम पंचायत अधिकारी/ अवर अभियंता	02 माह
3	कृषक से प्राप्त बोरिंग प्रार्थन पत्र का सहायक अभियंता, लघु सिंचाई को अग्रसारण	खण्ड विकास अधिकारी	07 दिन
4	लाभार्थी को PVC Pipe एव अन्य सामग्री क्रय करने हेतु स्वीकृत पत्र निर्गत करना	सहायक अभियंता	15 दिन
5	नि:शुल्क बोरिंग पूर्ण करना	सहायक बोरिंग टेक्नीशियन/बोंरिग टेक्नीशियन/अवर अभियंता	02 माह
6	लाभार्थी को रूप पत्र-4 निर्गत करना	अवर अभियंता/ सहायक अभियंता	01 माह

योजना का नाम- सामूहिक नलकूप का निर्माण।

नियमानुसार समूह चयन करके कृषक द्वारा विकास खण्ड/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र देने पर कार्यवाही शुरू की जायेगी।

क्र0 सं0	कार्यवाही	उत्तरदायी अधिकारी	समय सीमा
1	समूह का सत्यापन/परीक्षण एवं प्रकरण को अधिशासी अभियंता को	अवर अभियंता/ सहायक अभियंता	15 दिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	प्रेषित करना, सर्वे हेतु GW/RSAC /एजेन्सी को प्रेषण एवं सहायक अभियंता को संसूचना		
2	स्थल सर्वेक्षण	संबंधित एजेन्सी	01 माह
3	Feasible पाए जाने पर प्राक्कलन तैयार करके अधिशासी अभियंता को प्रेषित करना	अवर अभियंता/ सहायक अभियंता, लघु सिचाई	15 दिन
4	प्राक्कलन स्वीकृति एवं वरीयता क्रम निर्धारण	अधिशासी अभियंता	07 दिन
समूह द्वारा नियमानुसार समूह का अंश जमा कराने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।			
5	PVC Pipe एव अन्य सामग्री उपलब्ध कराना	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई	45 दिन
6	बोरिंग पूर्ण कराना	अवर अभियंता/ सहायक अभियंता	45 दिन
7	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना	अवर अभियंता/ सहायक अभियंता	07 दिन
8	पम्प हाउस का निर्माण	अवर अभियंता/ सहायक अभियंता	60 दिन
9	ऊर्जा विभाग के अधिशासी अभियंता को प्राक्कलन उपलब्ध करने हेतु बोरिंग सर्टीफिकेट सहित पत्र भेजना	सहायक अभियंता, लघु सिंचाई	03 दिन (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के 03 दिन में)
10	ऊर्जा विभाग द्वारा प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाना	अधिशासी अभियंता, विघुत	30 दिन
11	प्राक्कलन के अनुसार ऊर्जा विभाग को अनुदान धनराशि हस्तातंरण	सहायक अभियंता/ अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई	21 दिन
समूह द्वारा प्राक्कलन की अवशेष धनराशि जमा की जायेगी।			
12	विघुत कनेक्शन	अधिशासी अभियंता, विघुत	60 दिन
13	पम्पसेट का अधिष्ठापन	अवर अभियंता/सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई	30 दिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सेवा- भूजल विकास/दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना।

शासनादेश सं0-436/62-1-2004-863/96, दिनांक 25 मई, 2004 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा भूजल विकास/दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का आवेदन करने पर कार्यवाही शुरू की जायेगी।

क्र0 सं0	कार्यवाही	उत्तरदायी अधिकारी	समय सीमा
1	निदेशालय द्वारा संबंधित क्षेत्रीय खण्ड से सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषण	निदेशक के वैयक्तिक सहायक/ सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट	02 दिन
2	खण्ड द्वारा सूचना का प्रेषण	संबधित खण्डीय अधिकारी	15 दिन
3	निदेशालय द्वारा परीक्षण	निदेशक के वैयक्तिक सहायक/ सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट	05 दिन
4	प्रार्थी को स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचित करना	निदेशक	02 दिन
प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।			
5	अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गम	वैयक्तिक सहायक/ सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट द्वारा निदेशक स्तर से	03 दिन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।